तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
01.6.18	प्रा० राज० लोक अदालत 2018 ग्रा० पंचायत चनानी में पेश हुई। वादी प्रार्थी वादी की ओर से प्रा०पत्र पेश किया गया कि प्रकरण ① कोरीलाल बनाम भोलू 156/15 ② कोरीलाल बनाम रामसहाय प्र०सं० 147/15 ③ कोरीलाल बनाम रामसहाय प्र०सं० 136/15 ④ कोरीलाल बनाम मोतीलाल प्र०सं० 146/15 ⑤ कोरीलाल बनाम लक्ष्मीनारायण प्र०सं० 160/15 मय प्रा०पत्र 5 का पेश किये हुए है। उक्त वाद रहन बाजुजात बाबत पेश किये हुए है। जिसमें धारा 43(3)(4)(4क) राज० काश्त० अधि० के तहत 5 वर्ष से अधिक व 20 वर्ष निष्पादन तारीख से हो गये है। उक्त धारा के तहत ऐसे सम्पूर्ण रहन बिना चुकाये रहन मुक्त समझे जावे। लिहाजा उक्त रहन की समयावधि समाप्त हो चुकी है। अतः प्रकरणों में राजस्व रिकार्ड में रहन मुक्त के आदेश फरमावे। तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वर्णित भूमि ख०नं० 86 रकबा 02-14 बीघा ख०नं० 91 रकबा 03-03 बीघा, ख०नं० 504 रकबा 16 बिस्वा, ख०नं० 632 रकबा 16 बिस्वा, ख०नं० 633 रकबा 01-02 बीघा, ख०नं० 797 रकबा 09 बिस्वा, व कि प्रश्न काचरिया में दर्ज रहन, धारा 43(3)(4)(4क) राज० काश्त० अधि० के तहत 5 वर्ष से अधिक व 20 वर्ष निष्पादन तारीख से हो गये है, अतः नियमानुसार रहन का अंकन हटाया जाना उचित है। राज्य सरकार के अभियान लोक अदालत की ओर के अनुसार काश्तकारों के बीच कम से कम वाद वाद हो तथा नियमों की जानकारी के अभाव में अनावश्यक वाद नहीं बढ़े। इस कारण यह वाद राजस्व लोक अदालत की भावना

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	से स्वीकार किया जाना मैं उचित समझता हूँ। अतः वादीगण का वाद लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाता है। धारा 43(3)(4)(45) राज० काश्तकारी अधि० के तहत खाता सं० 26 ख०नं० 86 रकबा 02-14 बीघा ख०नं० 91 रकबा 03-03 बीघा, ख०नं० 504 रकबा 16 बिस्वा, ख०नं० 632 रकबा 16 बिस्वा, ख०नं० 633 रकबा 01-02 बीघा ख०नं० 797 रकबा 07 बिस्वा, वाके ग्राम कान्हरियर सम्वत 2068-71 में दर्ज बागुजाश्त किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड से हटाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद दाखिल दफ्तर हो। ह० अ 1/6/18 उपखण्ड अधिकारी [stamp]	

प्रपत्र – 5

मूल वद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- उपखण्ड अधिकारी निवाई

उनवान

कौंरीलाल **बनाम** लक्ष्मीनारायण

दावा बाबत ना.मु.जा.रहन किये जाने रहन व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :- 160/2015

निर्णय दिनांक :- 01.6.18

वादी की ओर से कंवरीलाल की व प्रतिवादी की ओर से — की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 01.6.18 को हरिताभ कुमार आर्य R.A.S. (नाम पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

वादीगण का वाद लोक अदालत की भावना से न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। धारा 53(3)(5)(5क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खाता नं. 26 ख.नं. 86, 91, 504, 632, 633, 797 वाके ग्राम काचरिया संवत 2068-71 में रहन बतुंजुरुस्त किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाये जाने के आदेश दिये जाते है।

खर्चा पक्षकारान्त अपना – अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 01.6.18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी [illegible]

1/6/18

पीठासीन अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, निवाई
कैम्प कोर्ट चनानी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदेशों के लिए स्टाम्प		प्लीड की फीस	
4. ....रुपये प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमीश्नर की फीस		कमीश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़े		जोड़े	

पीठासीन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर, निवाई

Scanned by CamScanner